कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सूचनाधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, दुमका के कार्यालय हेतु जन–सूचना पदाधिकारी के रूप में श्री संतोष कुमार पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), दुमका एवं सहायक जन–सूचना पदाधिकारी के रूप में दुमका जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी पुलिस निरीक्षक, प्रभाग स्तर के एवं सभी थाना प्रभारी/ओ0पी0 प्रभारी तथा परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, दुमका को मनोनीत किया जाता है।

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी श्री वाई. एस. रमेश (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक, दुमका होंगे।

जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ''विधि शाखा'' प्रभारी को निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। विशेष परिस्थिति में निर्धारित समय–सीमा में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबंधित वाद का निस्तारण प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किया जायेगा।

इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दुमका तथा परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, दुमका के सूचना पट्ट पर चिपकाई जाय तथा कार्यालय की गार्ड संचिका में भी रखा जाय। संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय नामपट्ट/थाना पर भी इसकी सूचना अंकित किया जाय।

पुलिस अधीक्षक,
दुमका।

ज्ञापांक 98/ विधि शाखा,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दुमका।
दिनांक– 22/ 01/ 2019

प्रतिलिपि :– 1. जन सूचना पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस उप–महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र, दुमका को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4 सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5.सभी पुलिस निरीक्षक (प्रभाग स्तर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6 सभी पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी/थाना प्रभारी/ओ0पी0 प्रभारी,दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. जिला जन संपर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
8. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि कृपया इस आशय की सूचना समाचार पत्र एवं वेब–साईट पर भी प्रकाशित करने हेतु प्रस्तावित किया जाय।
9. परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
10. प्रधान लिपिक, पुलिस कार्यालय, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस अधीक्षक,
दुमका।